राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

दिनांक. 19.04.2020

संख्या.एफ 2/07/2020/एस.1/64

आदेश

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 22 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में दिनांक 14 अप्रैल 2020 को आदेश जारी किया है कि भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन अवधि में विस्तार को देखते हुए ऐसे सभी आदेश जो 14 अप्रैल 2020 की मध्य रात्रि तक वैध थे, अब 3 मई 2020 या अगले आदेश तक, इनमें जो भी पहले हो, उस तक मान्य रहेंगे।

और जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने 15.04.2020 के अपने आदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी विभागों को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40–3/2020 डीएम1(ए), दिनांक 15.04.2020 के तहत जारी संशोधित दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है। गृह मंत्रालय के संशोधित निर्देशों में 20 अप्रैल 2020 से कुछ गतिविधियों की छूट दी है। इस निर्देश के साथ कि केंद्र शासित प्रदेश सरकारें अपने स्थानीय क्षेत्रों की जरूरतों के अनुरूप और कड़े उपाय लागू कर सकती है।

और जबकि, दिल्ली में कोविड–19 महामारी की स्थिति का आकलन किया गया है और मौजूद परिस्थितियों में, व्यापक जनहित में यथास्थिति बनाये रखना आवश्यक प्रतीत होता है।

इसलिए अब अधोहस्ताक्षरी आपदा प्रबंधन अधिनियम, खंड के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की राज्य कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी विभागों को दिनांक 15.04.2020 के आदेश में संलग्न दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन कराने के संबंध में 27 अप्रैल 2020 को अन्य व्यापक आकलन तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अतिरिक्त गतिविधियों के लिए कोई छूट दिये बिना, यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश देता है।

(विजय देव)

मुख्य सचिव, दिल्ली

सेवा में,

1. सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

पुलिस आयुक्त, दिल्ली ।

3. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर परिषद।

4. प्रधान सचिव (डीआईपी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, को व्यापक प्रचार के लिए।

5. आयुक्त (दक्षिण डीएमसी/पूर्वी डीएमसी/उत्तरी डीएमसी)

6. सीईओ, दिल्ली छावनी बोर्ड

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :-

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. अपर मुख्य सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. प्रधान सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
11. प्रधान सचिव (राजस्व)-एवं-डिविजनल आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
12. राज्य कार्यकारिणी समिति, डीडीएमए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, के सभी सदस्य।
13. नदेशक (डीआईपी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, को व्यापक प्रचार के लिए।
14. एसआईओ, एनआईसी को, इस अनुरोध के साथ कि इस रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
15. गार्ड फाइल।